कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक –उनि/सशि/ S.I.Q.E./वो–2/D,C,G/2016–17/225–227 दिनांक 05.07.2017

1 समस्त उपनिदेशक
प्रांरभिक / माध्यमिक शिक्षा
2 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रांरभिक/माध्यमिक शिक्षा.....
3. प्राचार्य,
समस्त डाइट राजस्थान
4 समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)
प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य आदर्श रामावि/राउमावि

विषय :– शैक्षिक सत्र 2017–18 में एसआईक्यूई कार्यक्रम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में आधार रेखा आकलन/पदस्थापन संपादित करने के संदर्भ में।

विषयान्तर्गत ग्रीष्मावकाश के बाद शैक्षिक सत्र 2017–18 आरम्भ हो चुका है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु एसआईक्यूई कार्यक्रम के सफल क्रियान्विति की जानी है, जिसके अतंर्गत निम्न 9 उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य किया जाना है–

1 बाल केन्द्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना।
2. बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना।
3. गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को रूचिकर, आनन्ददायी एवं प्रभावी बनाना।
4. ज्ञान को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत करना।
5. बच्चों में सृजनात्मकता एवं मौलिक चिन्तन का विकास करना।
6. बच्चों के स्तर के अनुरूप शिक्षण योजना अनुसार शिक्षण कार्य करते हुए शैक्षणिक प्रगति को दर्ज करना।
7. बच्चों को पर्याप्त अवसर प्रदान कराते हुए उनके संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करना।
8. बालकों के गुणात्मक विकास के साथ–साथ नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि।
9. बच्चों की प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा करना।

उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सत्र पर्यन्त बच्चों के साथ शिक्षण कार्य किया जाना है। इसके लिए सत्र की शुरूआत में बच्चों का स्तर आकलन किया जाना है। सभी राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों के आधार रेखा आकलन/पदस्थापन संपादित करवाने के लिए निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं –

1. कक्षा 2 से 5 में नवप्रवेशित बच्चों का शैक्षिक स्थिति जानने के लिए आधार रेखा आकलन'/पदस्थापन करना सुनिश्चित करें।
2. नव प्रवेशित बच्चे जो एक सीसीई विद्यालय से दूसरे सीसीई संचालित विद्यालय मे प्रवेश लेते हैं, उनके लिए अंतिम योगात्मक आकलन को आधार माना जाए। यदि आवश्यकता हो तो उनकी शैक्षिक स्थिति के लिए गत कक्षा की बुनियादी दक्षताओं के आधार पर निदेशालय स्तर से तैयार नमूना पदस्थापन प्रपत्र को काम लेकर बच्चे का वास्तविक आकलन किया जावे।
3. आधार रेखा आकलन/पदस्थापन हेतु सत्र के प्रारंभ में 8–10 दिन बच्चों के साथ पूर्व की कक्षा के कार्यों का दोहरान करवाने के पश्चात, आधार रेखा आकलन/पदस्थापन प्रपत्र (टूल) द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा।
4. इस काम में शिक्षकों की मदद के लिए राज्य स्तर पर कक्षा 2 से 5 के तीनों कोर विषयों (हिन्दी, गणित एवं अंग्रेजी) के आधार रेखा आकलन/पदस्थापन टूल के दो–दो नमूना प्रश्न–पत्र (कुल 24) तैयार सम्बन्धित पीईईओ/बीईईओ की मेल आई.डी. पर भिजवाया जा रहा है। सम्बन्धित बी.ई.ई.ओ./पी.ई.ई.ओ. विद्यालय के विषयाध्यापकों को उक्त टूल के आधार पर विद्यार्थियों का स्तर निर्धारित कर तदनुसार शिक्षण कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. यदि कोई विद्यार्थी अपने विषय में दिए गए प्रश्न–पत्र को हल नहीं कर पाता तो, उसे उससे पूर्व कक्षा स्तर का प्रश्न–पत्र दिया जाकर हल करावें ताकि उसका वास्तविक आकलन किया जा सके। इस कार्य में मार्गदर्शन हेतु रमसा की वेबसाईट में एसआईक्यूई के टूल फोल्डर में नमूना प्रपत्र उपलब्ध है।
7. आधार रेखा आकलन/पदस्थापन हिन्दी, गणित व अंग्रेजी विषय में ही किया जाना है। पर्यावरण अध्ययन विषय में आधार रेखा आकलन नहीं किया जाएगा।
8. आकलन मौखिक व लिखित गतिविधियों के माध्यम से किया जाए।

लिखित आकलन

1. आकलन प्रपत्रों के निर्माण के समय यह ध्यान रखा जाए कि कौशलों और जानकारियों का स्तर अध्ययन हेतु कक्षा के स्तर के अनुसार हो। इस हेतु आकलन पुस्तिका (चैकलिस्ट) मे प्रत्येक कक्षा की चतुर्थ टर्म के बाद दी गई, बुनियादी दक्षताओं को भली--भांति समझ कर ही आकलन प्रपत्रों का निर्माण करे।
2. आधार रेखा आकलन करते समय विद्यार्थियों को दिये जाने वाले प्रश्न पत्रों में नामांकित कक्षा से नीचे की सभी कक्षाओं के स्तरानुसार प्रश्न भी सम्मिलित किये जाये ताकि एक ही प्रश्न पत्र के माध्यम से विद्यार्थी का सही आकलन किया जा सके। उदाहरण के लिए–कक्षा 5 में नामांकित बच्चे को दिये जाने वाले प्रश्न पत्र में कक्षा 4, 3, एवं 2 की बुनियादी कौशलों से संबंधित दक्षाओं के प्रश्न भी सम्मिलित किये जाए।
3. आधार रेखा आकलन/पदस्थापन प्रक्रिया के अन्तर्गत लिखित आकलन प्रपत्र को जाँच कर अध्यापक शैक्षिक स्तर निर्धारित करते हुए समेकित टिप्पणी मय हस्ताक्षर एवं दिनांक सहित अनिवार्य रूप से दर्ज करें। तत्पश्चात यह प्रपत्र बच्चे की पोर्टफोलियो फाईल में संधारित किया जाए। टिप्पणी में कक्षा स्तर का भी उल्लेख करें।
4. यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक बच्चा आधार आकलन /पदस्थपन में सम्मिलित हो। जो बच्चे निर्धारित आधार रेखा आकलन/पदस्थापन प्रक्रिया के दिवसों में अनुपस्थित रहे हैं, उपस्थित होने पर उनका आधार रेखा आकलन/पदस्थापन किया जाए। चूंकि प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन सतत प्रक्रिया है। अतः विद्यार्थी के प्रवेश के पन्द्रह दिन के भीतर उसका आधार रेखा आकलन/पदस्थापन प्राथमिकता से किया जाए।
5. आधार रेखा आकलन/पदस्थापन में मुख्य रूप से बच्चों की तथ्यात्मक, अवधारणात्मक एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान की स्मृति, समझ एवं कौशलों की स्थितियों को आकलित किया जाए। आकलन पत्र ऐसा निर्मित करें जिसमें इन सभी का समावेश हो जाये।
6. सत्र के आरम्भ में बच्चों के साथ कक्षा में स्तरानुसार ऐसी गतिविधियाँ आयोजित की जाएं जो समग्र विकास को सुनिश्चित करती हों। इन गतिवधियों में भित्तीपत्रिका (Wall Painting), Painting of the Day, Sketch of the Day, Rhyme of the day, Story of the day, Reading habits, Open lbrary, Chess, Tense chart प्रभावी प्रार्थना सभा का संचालन कर बच्चों की सृजनात्मक कौशल एवं चिन्तन कौशल का विकास किया जावे।
7. कौशलों से संबंधित विषय वस्तु को उतार–चढ़ाव के साथ पठन करना, पाठ्य सामग्री से संबंधित प्रश्न करना, मौखिक प्रश्नोत्तरी करना, सरल निर्देशों को सुनकर उनका पालन करना, उपसमूहों में आपसी चर्चा करना, अवधारणा से संबधित मौखिक सवालों को हल करना आदि गतिवधियां की जा सकती है। सामूहिकता, सहभागिता आदि के लिए समूह में कोई खेल आदि हो सकता है।
8. उक्त प्रकार की नियोजित गतिवधियों के माध्यम से बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति, कुशलता, विषय वस्तु की समझ, कला, आपसी सहयोग, सहभागिता, रूचि, प्रदर्शन आदि का आकलन किया जा सकता है।
9. आधार रेखा आकलन प्रक्रिया में 10–15 दिन लगेंगे। समग्र प्रक्रिया को इस तरह किया जाये कि बच्चे सहज महसूस करें। इसे दैनिक गतिविधियों की तरह सम्पादित किया जाये।
10. आधार रेखा आकलन से प्राप्त डाटा को कक्षा एवं विद्यालय स्तर पर नीचे दिये गये प्रपत्र में समेकन करें।

10.1 कक्षा स्तर पर–

क्र.स.	नाम विद्यार्थी	नाम माता/पिता	नामांकित कक्षा	आधार रेखा आकलन से प्राप्त कक्षा स्तर		
				हिन्दी	गणित	अंग्रेजी

10.2 विद्यालय स्तर पर–

विषय	कक्षा 2 नामांकन.....		कक्षा 3 नामांकन.....		कक्षा 4 नामांकन.....		कक्षा 5 नामांकन.....	
	कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों की संख्या	कक्षा स्तर के बच्चों की संख्या	कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों की संख्या	कक्षा स्तर के बच्चों की संख्या	कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों की संख्या	कक्षा स्तर के बच्चों की संख्या	कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों की संख्या	कक्षा स्तर के बच्चों की संख्या

11. यह फीडिंग शाला दर्पण के साथ ऑनलाइन की जाये। संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर आधार रेखा आकलन की प्रविष्टि बच्चे के प्रवेश के 20 दिनों के भीतर– भीतर करवाना सुनिश्चित करें।
12. आधार रेखा आकलन किसी भी बच्चे का वास्तविक स्तर कक्षा एवं विषयवार भिन्न हो सकता है। अतः प्रत्येक बच्चे का संबंधित कक्षा एवं विषयवार वास्तविक कक्षा स्तर को अध्यापक योजना डायरी एवं विद्यार्थी वार्षिक अभिलेख पंजिका में दर्ज करें।
13. आधार रेखा आकलन से प्राप्त स्थिति की समेकित तालिका संस्था प्रधान स्वयं के कक्ष में प्रदर्शित करें एवं एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 31 जुलाई तक आवश्यक रूप से प्रेषित करे। इस तालिका को संस्था प्रधान एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक योगात्मक आकलन के पश्चात अद्यतन करें।

आधार रेखा आकलन/पदस्थापन प्रक्रिया की प्रभाविता सुनिश्चित करने हेतु बिन्दु–

- आधार रेखा आकलन/पदस्थापन की प्रक्रिया को प्रत्येक स्तर पर (जिला शिक्षा अधिकारी, एडीपीसी, डाइट संकाय सदस्य, अजिशिअ, बीईईओ, पीईईइओ, कार्यक्रम अधिकारी, डीएसएफ और जेडएसएफ आदि) निम्न बिन्दुओं के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।
- कक्षा 2 से 5 में नामांकित सभी विद्यार्थियों का आकलन कर लिया है। इसके प्रमाण के तौर पर विद्यालय अवलोकन के दौरान बच्चों के द्वारा किये गये आकलन पत्रों एवं गतिविधियों को देखा जाए।
- सलंग्न नमूना प्रश्न–पत्र राज्य के समस्त आदर्श विद्यालयों के संस्था प्रधानों (पदेन पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी) को प्रेषित किए जा रहे हैं। इस सन्दर्भ में समस्त पीईईओ एवं बीईईओ से अपेक्षा है कि आप अपने परिक्षेत्र में स्थित समस्त प्रावि/उप्रावि/मावि/उमा विद्यालय जहाँ 1 से 5 तक की कक्षाओं का संचालन हो रहा है, उनको आधार रेखा आकलन/पदस्थापन टूल की प्रतिलिपी उपलब्ध करवाएँ, जिससे वे बालक–बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर आकलन में इनका उपयोग ले सकें।
- जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधिनस्थ विद्यालयों की आधार रेखा आकलन से संबंधित प्रविष्टियों को शाला दर्पण पर अपलोड करवाने हेतु नियमित प्रबोधन भी करेगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार 24 प्रश्न–पत्र (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित विषय के कक्षा 2 से 5 के लिए दो–दो सेट)

(पी.सी.किशन)
आई.ए.एस
निदेशक,प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. निजी सचिव, शासन सचिव प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव निदेशक रामाशिप जयपुर
3. निदेशक, एसआईईआरटी उदयपुर
4. समस्त बीईईओ को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार विद्यालयों में की जा रही स्तर निर्धारण प्रक्रिया की प्रभावी मोनिटरिंग सुनिश्चित करावें।
5. शिक्षा विशेषज्ञ यूनिसेफ जयपुर
6. निदेशक बोध शिक्षा समिति जयपुर
7. सिस्टम एनालिस्ट ,कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट एवं शाला दर्पण पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक
एस.आई.क्यू.ई.
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

नोडल प्रभारी
एस.आई.क्यू.ई.
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर